



संख्या : — /जी०एस०/शिक्षा/A3-07/2016

प्रेषक,

**डा० रंजीत कुमार सिन्हा,**  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलपति,**  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड**  
महोदय,

देहरादून दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 677 दिनांक 21 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा रिनेशा कॉलेज ऑफ़ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, रामनगर (नैनीताल) को बी०एच०एम० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्तावों पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	रिनेशा कॉलेज ऑफ़ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, रामनगर (नैनीताल)	बी०एच०एम०	90 सीट	2022-23

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।

2- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

3- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तदविषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

4- संस्थान में भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला मानकानुसार पूर्ण कराने के साथ प्रामुति राशि के रूप में बंधक F.D.R का नवीनीकरण करवाते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

5- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3484 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A3-07/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- रिनेशा कॉलेज ऑफ़ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, रामनगर (नैनीताल) आज्ञा से,
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

(एन०के० पोखरियाल)  
कुलाधिपति के उपसचिव।